Part-I' Form-A

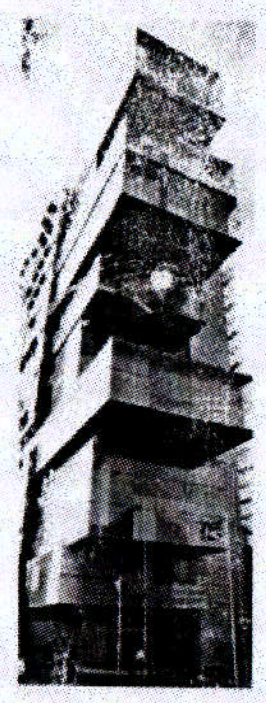

FOREST PROPOSAL
OF
Akbarpur Bypass (NH-232)

अकबरपुर

प्रयोक्ता एजेन्सी	:	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली
परियोजना	:	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –232 (टाण्डा) के किमी. 0.000 से किमी. 285.818 (बांदा) के अन्तर्गत अकबरपुर बाईपास में अकबरपुर – बसखारी मार्ग के किमी. 179/800 से किमी. 180/000 एवं अकबरपुर – शाहगंज मार्ग के किमी. 161/400 से किमी. 161/600 में बाईपास निर्माण हेतु 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्ग का निर्माण
वन प्रभाग	:	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग अकबरपुर किमी. 0.000 से किमी. 36.600

परिशिष्ट
(देखिये नियम 6)
फार्म क

सरकारी तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा भरे जाने के लिये

1.	परियोजना विवरण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –232 (टाण्डा) के किमी. 0.000 से किमी. 285.818 (बांदा) के अन्तर्गत अकबरपुर बाईपास में अकबरपुर – बसखारी मार्ग के किमी. 179/800 से किमी. 180/000 एवं अकबरपुर – शाहगंज मार्ग के किमी. 161/400 से किमी. 161/600 में बाईपास निर्माण हेतु 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्ग का निर्माण
I.	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद अकबरपुर (अकबरपुर बाईपास निर्माण हेतु) **(1) अकबरपुर – बसखारी मार्ग** उपलब्ध भूमि–0.1800 हेक्टेयर अपेक्षित वन भूमि 0.1080 हेक्टेयर। विस्तृत विवरण संलग्न है। **(2) अकबरपुर – शाहगंज मार्ग** उपलब्ध भूमि–0.1080 हेक्टेयर अपेक्षित वन भूमि 0.0360 हेक्टेयर। विस्तृत विवरण संलग्न है।
II.	1:50,000 स्केल मैप वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
III.	परियोजना की लागत	रू0 1060.29 करोड़
IV.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	परियोजना वन क्षेत्र में स्थापित नही की जा रही हैं अपितु वर्तमान मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव है। इस कार्य में सड़क के दोनो ओर की वन भूमि में पूर्व रोपित वृक्षों को काटने की तथा तदनुसार भूमि पर मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता होगी।
V.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है। (संलग्नक संख्या– 01)
VI.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	

Mott Mac Donald Pvt. Ltd.

VII.	कुल वृक्ष **(1) अकबरपुर – बसखारी मार्ग** बांयी पटरी – 08 दांयी पटरी – 05 **(2) अकबरपुर – शाहगंज मार्ग** बांयी पटरी – 07 दांयी पटरी – 04	कुल वृक्ष – 24
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्धेश्यवार विवरण।	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –232 (टाण्डा) के किमी. 0.000 से किमी. 285.818 (बांदा) के अन्तर्गत अकबरपुर बाईपास में अकबरपुर – बसखारी मार्ग के किमी. 179/8 से किमी. 180/0 एवं अकबरपुर – शाहगंज मार्ग के किमी. 161/400 से किमी. 161/600 में बाईपास निर्माण हेतु 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्ग के निर्माण मे प्रभावित 24 वृक्षों के पातन हेतु कुल उपलब्ध भूमि 0.2880 हेक्टेयर है। राजमार्ग निर्माण हेतु 0.1440 हेक्टेयर वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है।	कोई नही
I.	परिवारों की संख्या	कोई नही
II.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	कोई नही
III.	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नही
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ या नहीं)	हाँ ।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षरण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता। (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	संलग्न है।
6.	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।
	1. परियोजना विवरण	संलग्न है।
	2. मानचित्र	संलग्न है।
	3. लागत लाभ विश्लेषण	संलग्न है।
	4. वृक्षों की सूची	संलग्न है।
	5. वृक्षों को कटाने हेतु वचनबद्ध प्रमाणपत्र	संलग्न है।

	6. क्षतिपूरक वृक्षारोपड के लिये प्रमाणपत्र	संलग्न है।
	7 संयुक्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्र (वृक्षों की गणना का)	संलग्न है।
	8. वचनबद्ध प्रमाणपत्र	संलग्न है।
	9. मानक शर्ते	संलग्न है।
	10. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणपत्र	संलग्न है।

उप महाप्रबंधक (तकनीकी), कार्यालय, रायबरेली
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
रायबरेली

(सी० एम० त्रिवेदी)
परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
रायबरेली